

अन्तिम डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, खल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री मुकेश बारैठ, आर.ए.एस.

पूनम चंद बनाम सुखराम आदि
दावा 53,88,91 आर.टी.ए मुकदमा नं0 119/2013

निर्णय दिनांक :- 28.8.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री मनोज बिश्नोई एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री अजय बिश्नोई, सुधीर शर्मा पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 आर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 33/28 के मु0न0 10 की कुल 6.022 हैक्टर नहरी बारानी भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किए जाने के आदेश दिए जाते है-

1. पूनम चंद पुत्र माना राम जाति मेघवाल निवासी मोहलां हाल 3 एन जैड पी डी तहसील रायसिंहनगर का हिस्सा:-

चक 3 आर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 33/28 के मु0न0 10 के किला न0 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 सालम सालम व किलान0 8 मे 16 बिस्वा नहरी कुल 8 बीघा 16 बिस्वा नहरी भूमि व किलान0 3, 4, 5 सालम सालम व किलान0 9 मे 2 बिस्वा बारानी भूमि कुल 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि।

2. सुखराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 आर मोहलां का हिस्सा:-

चक 3 आर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 33/28 के मु0न0 10 के किला न0 8 मे 4 बिस्वा, किलान0 13, 18, 23 सालम सालम, किलान0 22 मे 16 बिस्वा कुल 4बीघा नहरी, किलान0 2 सालम, किला न0 9 मे 18 बिस्वा बारानी कुल 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि।

3. सीमा पत्नी सुखराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 आर मोहलां का हिस्सा:-

चक 3 आर की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 33/28 के मु0न0 10 के किला न0 11 मे 18 बिस्वा, किलान0 12 सालम, किला न0 20 मे 18 बिस्वा, किला न0 19 सालम, किला न0 21 मे 18 बिस्वा, किलान0 22 मे 4 बिस्वा नहरी कुल 4 बीघा 18 बिस्वा नहरी, किला नं0 1 मे 18 बिस्वा, किला न0 10 मे 4 बिस्वा कुल 1 बीघा 2 बिस्वा बारानी कुल 6 बीघा भूमि।

पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण इस भूमि मे रास्ता व पानी के आवागमन के लिए एक दूसरे को भूमि देगे व उसमे किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नही करेगा और ना ही इसके लिए विवाद करेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे।

आज दिनांक 28.8.2018 को यह पर्चा डिग्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला, श्रीगंगानगर